24/08/17

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का टापरवाड़ा

बहक श्री मुकेश जितेन्द्र पवन पि०
पुत्र श्री हरलाल
जाति जाट नि. मोड़ीखुर्द

मुकदमा नं. 29 / 2017

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 30.01.2018

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम मोड़ीखुर्द खसरा नम्बर 653 रकबा 0.0400 हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता (राजकीय भूमि) पर संवत 2074 फसल खरीफ में श्री मुकेश, जितेन्द्र, पवन पुत्र श्री हरलाल जाति जाट निवासी मोड़ीखुर्द (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा डोल बाड व पक्की दीवार पीलर बनाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी पवन, मुकेश उपस्थित हुए। अप्रार्थियान की ओर से जवाब पेश पेश कर समय चाहा गया। अप्रार्थियान को समय दिया गया। अप्रार्थियान की ओर से कोई विधि संबंधी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। नि०

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम मोड़ीखुर्द ख.न. 653 रकबा 0.0400 हैं० किस्म गै.मु.रास्ता पर संवत 2074 फसल खरीफ में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर डोल बाड़ व पक्की दीवार पीलर बनाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 22/- का 50 गुणा रूपया 4.40 रू० पूर्णांक 5.00 रू. (रूपये पांच रूपये.) शास्ति कायम की जाती है।

क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का टापरवाड़ा निर्णय की एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये। भु. अभिलेख निरीक्षक रिड़.

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2018 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
जिला–नागौर (राज०)

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)